

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / विविध-07-98 / 2013..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सियाराम प्रसाद पाल जे 6949 / 19.06.59 / बॉध एवं बराज रुपांकण प्रमंडल, जमशेदपुर सम्प्रति लघु वितरणी प्रमंडल सं.-08, जमशेदपुर	22.03.79	22.03.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/
कार्यपालक अभियन्ता, लघु वितरणी प्रमंडल सं.-08, जमशेदपुर को श्री सियाराम प्रसाद पाल, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त तीन भाग(मूल) के साथ/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 695 राँची, दिनांक :- 27-1-14
प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-07-04/2014...../ राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्न कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति एवं ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/आई.डी. कोड/ जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन/ नियुक्ति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश संख्या	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000-15200 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5	6
1	श्री त्रिलोकी नाथ सिंह जे 4977/ 01.01.55 / कोनार नहर प्रमंडल बगोदर गिरिडीह/ 03.02.79	03.02.89	5564 / 27.08.90	09.08.99	03.02.03	

- उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- ए.सी.पी. योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/ अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बॉध अंचल, तेनुघाट/ कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर, गिरिडीह को श्री त्रिलोकी नाथ सिंह, सहायक अभियंता का सेवापुस्त तीन भाग मूल के साथ/ संबंधित सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 706 राँची, दिनांक :- 27-1-14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-07-96/2013...../ राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000-15200 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री हरिनारायण साहु/ जे 5907 बी/ 02.01.53 / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग	02.02.79	09.08.99	02.02.03	

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए.सी.पी. योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, हजारीबाग/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग को श्री हरिनारायण साहु, कनीय अभियंता का सेवापुस्त दो भाग मूल के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 710

राँची, दिनांक :- 27-1-14

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)